मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal
(An Institution of National Importance under Ministry of Education, Govt. of India)

सम्पदा/2023/779 दिनाँक: - 07/12/2023

// आवास आवंटन आदेश //

आवास आवंटन समिति की अनुशंसा तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित आवेदकों को आवास आवंटित किये जाते हैं : -

क्र.	आवेदक का नाम	पद	विभाग	वर्तमान आवास क्र.	आवंटित आवास क्र.
1.	डॉ. विनय मोहन दास	प्राध्यापक	वास्तुकला एवं योजना	IV/17	III/16
2.	डॉ. डी. किशन	सह-प्राध्यापक	जनपद अभियांत्रिकी	IV/15	III/31
3.	डॉ. रवीन्द्र सिंह राणा	सह-प्राध्यापक	यांत्रिकी अभियांत्रिकी	IV/8	IV/29
4.	डॉ. दीपक सिंह तोमर	सह-प्राध्यापक	कंप्यूटर विज्ञानं एवं अभियांत्रिकी	-	III/22
5.	डॉ. संयम शुक्ला	सहायक प्राध्यापक	कंप्यूटर विज्ञानं एवं अभियांत्रिकी	IV/18	IV/19
6.	डॉ. मुकेश कुमार किरार	सहायक प्राध्यापक	विद्युत् अभियांत्रिकी	VI/27	IV/30
7.	डॉ.गिरिबाबू डायनामिना	सहायक प्राध्यापक	विद्युत् अभियांत्रिकी	VI/37	IV/4
8.	डॉ. कांचापोगु सुरेश	सहायक प्राध्यापक	रासायनिक अभियांत्रिकी	VI/54	VI/55
9.	डॉ सुभाजीत पात्रा	सहायक प्राध्यापक	रासायनिक अभियांत्रिकी	VI/56	VI/53
10.	डॉ. मोरे राजू	सहायक प्राध्यापक	विद्युत् अभियांत्रिकी	VI/26	VI/44
11.	श्री महेश कुम्हार	सहायक वर्ग -II	जनपद अभियांत्रिकी	VIII/33	VIII/35

टिप्पणी: -

1. उपरोक्त आवास आवंटन संस्थान की नवीनतम आवास आवंटन नियमावली (House Allotment Rules) के अंतर्गत किया गया है, जिसे संस्थान में दिनाँक:- 15/11/2021 से लागू किया गया है। यह आवास आवंटन नियमावली संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
2. प्रत्येक आवंटी को यह आदेश प्राप्त होने के 05 कार्य दिवसों के भीतर नए आवंटित आवास पर स्थानांतरित होना आवश्यक है, अन्यथा आवंटन स्वतः ही रद्द माना जाएगा तथा आवंटन स्वीकार न होने की स्थिति में आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के लिए आवंटी को आवास आवंटन के लिए आवेदन करने से वंचित कर दिया जाएगा एवं आवंटी को आवंटित आवास की श्रेणी का एक महीने का लाइसेंस शुल्क भुगतान करना होगा।
3. आवंटित आवास में आवंटियों को दुधारू पशु अथवा अन्य कोई पशु रखने की अनुमति नहीं है।

यह आवास आवंटन आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जाता है।

प्रति,
समस्त आवंटी/आवेदक

07/12/23
सहायक कुलसचिव (सम्पदा)

प्रतिलिपि: -

1. सलाहकार सम्पदा हेतु सूचनार्थ,
2. सम्पदा अधिकारी हेतु सूचनार्थ,
3. प्रमुख प्राध्यापक (वेबसाइट) - संस्थान की वेबसाइट पर अंकित करने हेतु,
4. संकाय अध्यक्ष (संकाय कल्याण) हेतु सूचनार्थ,
5. निज-सचिव (कुलसचिव) - कुलसचिव के सूचनार्थ,
6. निज-सचिव (निदेशक) - निदेशक के सूचनार्थ।